संचय
SANCHAYA

रा ब सं
जनसेवा में 50 वर्षों से अधिक
NSI
Over 50 Years in Service of People

मासिक प्रकाशन | **Monthly Publication**

जनवरी 2009 (अंक 186) | **January 2009 (Issue 186)**

श्री अनिल भट्टाचार्य, निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान (मध्य में) 19 जनवरी 2009 को नागपुर में ''युवकों एवं कृषकों'' के लिये बचत उत्पाद तैयार करने पर आयोजित क्षेत्रीय निदेशकों की कार्यशाला में संबोधित करते हुये दिखाई दे रहे है। साथ में (बायें से दाये) श्री मीर अजमत अली, संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान दिल्ली, श्री. एस. के. त्रिपाठी संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान (मुख्यालय)

राष्ट्रीय बचत संस्थान ने क्षेत्रीय निदेशकों के लिए मध्यवर्ती समीक्षा बैठक एवं बचत उत्पाद तैयार करने पर कार्यशाला का आयोजन किया

राष्ट्रीय बचत संस्थान ने 19-20 जनवरी 2009 के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों के लिये ''युवकों एवं कृषकों हेतु नये बचत उत्पाद तैयार करने पर दो दिवसीय कार्यशाला का नागपुर में आयोजन किया क्योंकि वित्तीय बाजार में इन दो उत्पादों की काफी माँग है। युवकों एवं कृषकों के लिये नये उत्पाद तैयार करने हेतु आयोजित कि गई इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वित्तीय बाजार की नई चुनौतियों से निपटना था। इस कार्यशाला के दौरान निवेशकों/बैंकों/डाकघरों/अभिकर्ताओं और विभिन्न एजेंसियों के प्रश्नावली से प्राप्त एवं उपलब्ध सूचना/नमुने के आधार पर क्षेत्रीय निदेशकों ने ''कृषकों और युवकों'' के लिये नये बचत उत्पाद बनाए। राष्ट्रीय बचत संस्थान वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक तैयार किये गये नये उत्पादों का ब्योरा वित्त मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजेगा।

राष्ट्रीय बचत संस्थान ने क्षेत्रीय निदेशकों के लिये मध्यवर्ती समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया। इस बैठक में क्षेत्रीय निदेशकों ने उनके क्षेत्रों में की गई गतिविधियों के संबंध में जैसे अभिकर्ता, डाककर्मी, बैंककर्मी के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समुह के मदत से नए खाते खोलने के लिये आयोजित ग्रामीण बचत अभियान और जनवरी से मार्च 2009 दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-2009 निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाई जानेवाली नीतियों पर अपने पेपर प्रस्तुत किए।

राष्ट्रीय बचत संस्थान
NATIONAL SAVINGS INSTITUTE

http://nsiindia.gov.in.

राष्ट्रीय बचत संस्थान, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर National Savings Institute, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur

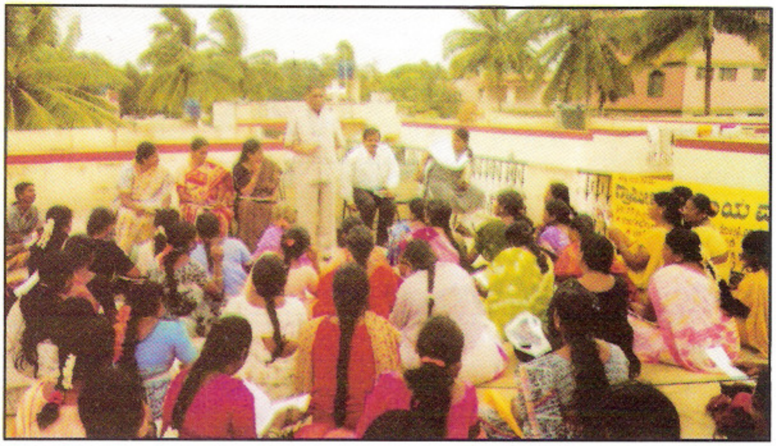

श्री. वी.एस. मुक्कनवार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान, बैंगलोर, कनकपुरा क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के मदत से ग्रामीण क्षेत्रों में खाता खोलने के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए । साथ श्री जी.बी. जोरापुर, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान और आंगनवाड़ी इकाई के अन्य पदाधिकारी ।

आयकर और राष्ट्रीय बचत की कर बचत योजनाएं

आयकर दाताओं के लिये फरवरी और मार्च निर्णायक महीने होते है क्योंकि इस अवधि के दौरान कर-दाता कर बचाने अथवा कम करने के उद्देश्य से अधिकतम राशि निवेश करने की कोशिश करते है । एक बुद्धिमान निवेशक के मन में निवेश के लिये तीन उद्देश्य है - (i) अधिकतम लाभ (ii) सुरक्षा (iii) तरलता । राष्ट्रीय बचत योजनाएँ इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करती है । वित्त अधिनियम 2008 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक कर योग्य आय रु. 1,50,000 रुपये से अधिक है आयकर देने के पात्र है । वित्तीय वर्ष 2008-09 (मूल्यांकन वर्ष 2009-2010) के लिए आयकर अदायगी की दरें इस प्रकार है :-

वार्षिक आय	आयकर की दरें
जहाँ कुल आय रु. 1,50,000 से अधिक नहीं है ।	कुछ नहीं
जहाँ कुल आय रु. 1,50,000 से अधिक परन्तु रु. 3,00,000 रु. से अधिक नहीं है ।	उस राशि का 10% जो रु. 1,50,000 से अधिक है ।
जहाँ कुल आय रु. 3,00,000 से अधिक परन्तु रु. 5,00,000 से अधिक नहीं है ।	. रु. 15,000/- अधिक उस रॉशि का 20% जिससे कुल आय रु. 3,00,000 से अधिक है ।
जहाँ कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है ।	रु. 55,000/- रु. अधिक उस राशि का 30% जिससे कुल आय रु. 5,00,000 से अधिक है ।

यद्यपि महिलाओं के लिए (65 वर्ष से कम आयु) मूल छूट सीमा रु. 1,80,000 है । उदाहरण के लिए आयकर दाता महिला को रु. 1,80,000 तक कर देने की आवश्यकता नहीं है । रु. 1,80,001 से रु. 3,00,000/- तक की आय पर कर की दर 10% और रु. 3,00,001/- से रु. 5,00,000/- तक 20% और रु. 5,00,000/- से अधिक की आय पर आय कर दर 30% होगी ।

श्री रंजन चटर्जी, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, श्री नासिर सज्जाद, क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ), राष्ट्रीय बचत संस्थान, गुवाहाटी केन्द्र से उनके शिलांग भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय बचत संस्थान की गृह पत्रिका 'संचय' प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे है ।

* *

इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिये (65 वर्ष आयु से अधिक) रु. 2,25,000/- तक कर में छूट होगी जैसे किसी वरिष्ठ नागरिक की आय रु. 2,25,000/- है तो उन्हें कोई कर अदा नहीं करना होगा । रु. 2,25,001 से 3,00,000/- तक के बीच की आय के लिए 10%, रु. 3,00,001/- से 5,00,000/- तक 20% और रु. 5,00,001/- के उपर की आय के लिए 30% आयकर की दर होगी ।

अधिभार : यदि कर योग्य आय रु. 10,00,000/- तक है तो व्यक्ति को कोई सरचार्ज देय नहीं होगा । यदि कर योग्य आय रु. 10,00,000/- से अधिक हो तो देय आयकर पर 10% अधिभार देय होगा ।

शिक्षा अधिभार : सभी आयकर दाताओं के लिए 3% (अधिभार को सम्मलित कर) शिक्षा उपकर आयकर पर देय होगा ।

व्यवसाय कर : कर दाता द्वारा दिया गया व्यवसाय कर आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 16 (1) के अंतर्गत कटौती के लिए अनुमन्य है । व्यवसाय कर वेतन के अंतर्गत आय का मूल्यांकन करते समय कटौती के रूप में अनुमत है ।

राष्ट्रीय बचत की कर बचत योजनाएं

आयकर धारा 10 : राष्ट्रीय बचत की विभिन्न योजनाओं जैसे डाकघर बचत योजना, लोकभविष्य निधि खाता पर अर्जित संपूर्ण ब्याज की राशि आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयकर से मुक्त है ।

आयकर धारा 80 सी : यदि विनिर्दिष्ठ योजनाओं में धन निवेश किया गया हो तो आयकर की धारा 80-सी के अंतर्गत कर योग्य आय में से रु. 1,00,000/- तक की राशि पर छूट प्राप्त होगी । राष्ट्रीय बचत संस्थान की विनिर्दिष्ठ योजनाएँ 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि तथा 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवा निर्गम) में जमा राशि आयकर की धारा 80-सी के अंतर्गत कटौती योग्य है । आयकर दाता इन दो योजनाओं में राशि जमा कर आयकर कम कर सकते है और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते है ।

अ) 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता की प्रमुख विशेषताएँ :

(i) 8 प्रतिशत ब्याज पूर्णतः कर मुक्त ।
(ii) न्यायालय की कुर्की से मुक्त ।
(iii) खाता परिपक्व होने के बाद भी अगले 5 वर्षों के ब्लाक के लिए चालू रखा जा सकता है ।
(iv) एक वित्तीय वर्ष में कम से कम रु. 500/- और अधिकतम जमा रु. 70,000/-
(v) ऋण एवं आंशिक निकासी अनुमति ।
(vi) यदि 15 वर्षों तक रु. 1,000/- प्रतिवर्ष जमा करते है और निकासी नहीं करते हैं तो रु 1,000/- खाता परिपक्व होने पर रु. 30,324/- होंगे ।
(vii) आयकर की धारा 80-सी के अंतर्गत जमा राशि आय से कटौती योग्य है ।

ब) 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आँठवा निर्गम) की प्रमुख विशेषताएँ :

(i) राष्ट्रीय बचत पत्र (आँठवा निर्गम) में जमा राशि आयकर की धारा 80-सी के आय से कटौती योग्य है ।
(ii) प्राप्त वार्षिक ब्याज जिसे पुनः निवेशित समझा जाता है वह भी आय की धारा 80-सी अंतर्गत आय से कटौती योग्य है ।
(iii) परिपक्वता पर रु. 100 के रु. 169.10 देय होंगे ।

अप्रैल से अक्टूबर 2008 के लिए अल्प बचत संग्रहण

(करोड रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्र / राज्य	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
		अक्तूबर 2007 तक		अक्तूबर 2008 तक	
1.	आंध्र प्रदेश	5088.98	-263.95	5855.52	-279.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	48.45	14.26	52.10	11.62
3.	असम	889.00	-380.21	923.62	-172.34
4.	अंदमान निकोबार द्वीप	13.45	1.52	15.90	3.75
5.	आर्मी पोस्ट ऑफीसेस	150.96	-48.65	195.88	-364.96
6.	बिहार	3062.22	448.20	3326.51	600.13
7.	झारखंड	999.30	-15.93	1314.83	142.10
8.	चंडीगढ	193.48	-114.27	245.63	-64.40
9.	दमण एवं दीव	243.79	-124.74	235.78	-17.15
10.	दिल्ली	2420.04	-934.31	2526.04	-1003.56
11.	गोवा	186.99	-1.46	216.39	-6.32
12.	गुजरात	6555.33	-1088.83	7487.92	-405.37
13.	हरियाणा	2466.09	-317.42	2499.52	-321.34
14.	हिमाचल प्रदेश	1321.71	28.91	1317.31	80.62
15.	जम्मू व कश्मीर	866.90	-64.29	729.00	-24.79
16.	कर्नाटक	2826.79	-681.96	2953.15	-526.95
17.	केरल	2236.19	-300.25	2486.60	-485.28
18.	लक्षद्वीप	0.89	-0.02	1.31	0.00
19.	मध्य प्रदेश	2201.31	-297.84	2373.41	-195.62
20.	छत्तीसगढ	758.16	-23.78	800.74	-54.00
21.	महाराष्ट्र	6927.34	-1200.11	7025.36	-66.12
22.	मणिपुर	38.40	-10.47	35.30	-11.77
23.	मेघालय	87.47	-2.46	87.90	5.80
24.	मिझोरम	43.95	-6.14	45.85	-10.38
25.	नागालैंड	18.89	-4.45	21.68	-1.92
26.	उडीसा	1401.10	42.32	1457.41	132.78
27.	पांडीचेरी	54.20	-24.75	51.17	-17.06
28.	पंजाब	4596.07	-590.70	4155.41	-488.42
29.	राजस्थान	3761.63	-952.10	4503.73	-911.00
30.	सिक्कीम	27.57	-11.69	30.43	-5.99
31.	तमिलनाडू	4405.48	-641.41	4606.02	-674.08
32.	त्रिपूरा	209.43	-12.81	237.48	-16.54
33.	उत्तर प्रदेश	8462.94	117.71	8628.38	443.65
34.	उत्तरांचल	1175.50	66.80	1267.45	110.60
35.	पश्चिम बंगाल	8573.91	-146.31	9867.30	653.67
	कुल	**72313.90**	**-7541.61**	**77578.02**	**-3939.88**

टिप्पणी : डाक विभाग नई दिल्ली से प्राप्त आंकडे समायोजन के अधीन है। इन आंकडों में पी.पी.एफ. एवं एस सी एस एस (बैंक) संग्रह शामिल नहीं हैं।

SHIVRAJ (D.G.P.S.) NAGPUR